न्यायालय श्री सोनु सौरव, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0 :–959 / 2022

उपहारा थाना कांड संख्या :–77 / 2022

01.10.2022 आवेदक टेलर निबंधन सं0–BR02GC6828 के स्वामी वासुकि नाथ के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त वाहन को मुक्ति हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त टेलर निबंधन सं0–BR02GC6828 उपहारा थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है । उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः आवेदक के पक्ष में उक्त टेलर को मुक्त किया जाय । उक्त वाहन से सम्बन्धित ट्रैक्टर मुक्त किया जा चुका है ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त टेलर निबंधन सं0–BR02GC6828 को उपहारा थाना द्वारा जप्त किया गया है तथा इस पर बालू चोरी का आरोप है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में सम्बन्धित थाना द्वारा यह दर्शित किया गया है कि "उक्त वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नही है, उक्त वाहन को मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है"। जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के पत्रांक–1494 / ख0 दिनांक–29.08.2022 के प्रतिवेदन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में अर्थदण्ड की राशि मो0–25000 / –रूपया जमा किया है । उक्त वाहन का स्वामी के द्वारा दाखिल आर.सी से विदित होता है कि उक्त टेलर का स्वामी का नाम वासुकि नाथ, निबंधन सं0–BR02GC6828, इंजन सं0–00000, चेसिस सं0–REW082022 अंकित है । उक्त वाहन के स्वामी वासुकि नाथ की ओर से उक्त वाहन की आर.सी. की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है । ट्रैक्टर को न्यायालय द्वारा पूर्व में ही मुक्त किया जा चुका है । मिलान करने के उपरांत मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक वासुकि नाथ के पक्ष में उक्त जप्त टेलर निबंधन सं0–BR02GC6828, इंजन सं0–00000, चेसिस सं0–REW082022 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक वासुकि नाथ के पक्ष में उक्त टेलर निबंधन सं0–BR02GC6828 को मो0–1,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त टेलर का आर.सी की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा। आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उक्त टेलर का रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त वाहन का जो कागजात दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी उपहारा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें।

प्र0 न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।